

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर(जोधपुर)

पीठासीन अधिकारी :- श्री मनोज खेमादा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 56/2017

जीसीएमएस नम्बर :- 2017/00065

वादीगण

1. शांतिदेवी पत्नी नारायणराम
2. मानाराम पुत्र बरींगाराम
3. सांवतराम पुत्र बरींगाराम
4. नारायणराम पुत्र बरींगाराम
5. खमूराम पुत्र बरींगाराम
6. मेहनराम पुत्र बरींगाराम निवासी ग्राम भालु राजवा तहसील बालेसर जिला जोधपुर

नाम

प्रतिवादीगण

1. रावलसिंह पुत्र पनेसिंह
2. कल्याणसिंह पुत्र पनेसिंह निवासी भालुराजवा तहसील बालेसर जिला जोधपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर
4. प्रबन्धक एस.बी.आई शाखा बालेसर
5. प्रबन्धक युको बैंक चामू
6. प्रबन्धक ओरियन्टल बैंक ऑफ कार्मश शाखा बालेसर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :-

1. वादी अधिवक्ता श्री लुम्बाराम चौधरी उपस्थित।
2. प्रतिवादीगण 1, 2 के अधिवक्ता श्री जेटूसिंह उपस्थित।
3. प्रतिवादीगण 6 के अधिवक्ता विजयसिंह भाटी उपस्थित।
4. प्रतिवादीगण 3 से 5 अनुपस्थित एक पक्षीय कार्यवाही।

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 4/10/22

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वादी अधिवक्ता द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत वाद बाबत 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया था जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है:-

वादीगण एवं प्रतिवादीगणों की संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम भालुराजवा पटवार हल्का भालु राजवा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बेलवा तहसील बालेसर जिला जोधपुर में स्थित खसरा नम्बर 362 रकबा 39.02 बीघा भूमि स्थित है। उक्त भूमि पुरतैनी/खरीदसुदा पूर्वजों की भूमि है तथा उक्त भूमि वादीनी संख्या 1 का 4/7 हिस्सा एवं वादी संख्या 2 से 6 का 1/2 हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 का 3/7 हक हिस्सा निहित है। वर्तमान में संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आई हुई है तथा मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हक हिस्से अनुसार काबिज एवं काश्त करते आ रहे हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि का विधि अनुसार विभाजन किया हुआ नहीं है सम्पूर्ण भूमि सामलाती है। अभी हाल ही में प्रतिवादीगणों ने मौके पर आकर वादीगण को अपने हिस्से की भूमि से वेदखल करने की कोशिश की गई। प्रतिवादीगण अपने हिस्से से अधिक जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि में वादीनी संख्या 1 का 4/7 हक हिस्सा व वादी संख्या 2 से 6 का 1/2 हिस्से कब्जे अनुसार विभाजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 2 का उनके हक हिस्से अनुसार हिस्सा पुरतैनी रास्ते को छोड़कर अलग-अलग किये जाने का अनुरोध किया गया है।

वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगणों को नोटिस जरिये रजि. ए.डी. से प्रेषित करते हुए रजि. ए.डी. की रसीदे

न्यायालय में प्रस्तुत की गई। प्रतिवादीगण संख्या 3 से 5 न्यायालय में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 का जवाबदावा पत्रावली में शामिल मिसल है जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार है:-


वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खरीद की हुई भूमि है पुरतैनी भूमि नहीं हैं उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी संख्या 1 का 4/7 हिस्सा, वादी संख्या 2 से 6 का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 3/7 हिस्सा यानि 8.07 बीघा भूमि आती है इसी अनुसार मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण काबिज काश्त करते आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से की भूमि के चारों ओर पत्थर रोप कर तारबन्दी व जाली की हुई है तथा वादीगण भी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है तथा मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण अलग-अलग कब्जा काश्त करते आ रहे हैं। वादीगण के हिस्से वाली भूमि पर प्रतिवादीगण कब्जे काश्त में उपयोग एवं उपभोग में बाधा करने की धमकी दे रहे हैं यह तथ्य गलत है। प्रतिवादीगण के हिस्से में छोड़े गये रास्ते को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है जबकि वादीगण के द्वारा खरीद की हुई व वादीगण के कब्जे काश्त वाली भूमि पर मुरड डालकर रास्ता बनाया हुआ है जहाँ पर वादीगण आवागमन करते हैं। प्रतिवादीगण के हिस्से वाली भूमि पर न तो रास्ता चलता है न ही वादीगण प्रतिवादीगण के हिस्से वाली भूमि में से आवागमन करता है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगणों द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा न्यायालय हाजा में जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है :-

वादी नारायणराम का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 के यहा रहन रखा हुआ है तथा रहन खसरा नम्बर 362 की भूमि रहन रखी हुई है नारायणराम द्वारा विभाजन होने से पहले उसके हिस्से की भूमि पर ऋण प्राप्त किया है तथा ऋण चुकाये बगैर उक्त भूमि के खसरा नम्बर में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जावे वादीगण द्वारा नक्शे में जो रास्ता चाहा गया है व भूमि उक्त वाद पत्र स्वीकार होने पर नारायणराम के हिस्से में भूमि कम हो जायेगी इसलिये उक्त भूमि में से किसी प्रकार का रास्तानही निकाला जा सकता है तथा न ही नारायणराम के हिस्से की भूमि कम की जा सकती है। जबतक वादी नारायणराम प्रतिवादी बैंक से लिये गये ऋण को अदा कर नों ड्यू सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं करने तक उक्त भूमि का न तो खसरा नम्बर परिवर्तन करे न ही रास्ता निकाल कर नारायणराम के हिस्से की भूमि कम की जावें।

पत्रावली में तनकीयात कायम की गई। वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये जिससे शामिल मिसल किया गया। पत्रावली में जिरह की गई एवं साक्ष्यकर्ताओं के बयान कलमबद्ध किये गये। वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली में बहस की गई। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकर्ड के अनुसार उक्त भूमि सामलाती है। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यकर्ताओं के बयानों का अवलोकन किया गया जिसमें भी उनके द्वारा भी यह कथन किया गया है कि उक्त भूमि सामलाती है रास्ते के सम्बन्ध में प्रतिवादीगणों के साक्ष्य का स्पष्ट अभिमत नहीं है परन्तु राज्य सरकार के नियमों के अनुसार बंटवाडे में रास्ता उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है चुंकि उक्त भूमि खरीदसुदा है अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, साक्ष्य शपथ पत्रों के आधार पर वादीगणों का वादपत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 362 रकबा 39.02 बीघा भूमि ग्राम भालुराजवा पटवार हल्का भालु राजवा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बेलवा तहसील बालेसर जिला जोधपुर में वादीनी संख्या 1 का 4/7 हिस्सा एवं वादी संख्या 2 से 6 का 1/2 हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 का 3/7 हिस्सा एवं कब्जे के आधार पर बंटवाडा किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी होकर तहसीलदार बालेसर को निर्णय एवं डिक्री की प्रति प्रेषित हो।

उक्त आदेश आज तारीख 4/10/22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



min
(मनोज खेमदा)
पीठासीन अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर